


फर्द अहकाम

बनाम

5

मालय

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28-2-17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को न्यायालय समय तक बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु न तो वादी और न ही वादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः वादी का वाद सं० 131/2012 बाबत घोषणा विभाजन एवं अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत शज० काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवान गुलाबदेवी बनाम घासीराम व अन्य सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शामिल होकर कार्यालय में प्रेषित हो। निर्णय आज दिनांक 28-2-17 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर एमम् कार्यालय मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम) </p>	

